



2026:AHC-LKO:20380

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. – 2021/2026

शालू उर्फ शैलेंद्र

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग लखनऊ के माध्यम से
और अन्य

... विरोधी पक्ष (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: अरुण कुमार सिंह परिहार, आमोद कुमार सिंह
विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 524/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 352, पुलिस थाना भदोखर, ज़िला रायबरेली के अंतर्गत ज़मानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है।

4. आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 27.11.2025 को घटित हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.12.2025 को दर्ज कराई गई। इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में पर्याप्त विलंब हुआ है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी के लिए घातक है।

5. आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 19 वर्ष की पीड़िता/अभियोक्त्री द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पीड़िता/अभियोक्त्री, सूचना देने वाले व्यक्ति की बेटी हैं; साथ ही, इससे यह भी संकेत मिलता है कि आवेदक और सह-अभियुक्त दिनांक 27.11.2025 को रात लगभग 10:20 बजे पीड़िता/अभियोक्त्री के घर में घुस आए थे, और वर्तमान आवेदक शालू उर्फ शैलेंद्र ने पीड़िता/अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास किया।

6. आगे यह भी कहा गया है कि पक्षों के मध्य एक मामूली विवाद के कारण, प्रथम सूचना रिपोर्ट इस तरह के आरोप लगाकर दर्ज कराई गई थी जिससे भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2) और भारतीय न्याय संहिता 352 के अंतर्गत अपराध बनता हो, यद्यपि, आवेदक और सह-अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है।

7. आगे यह भी कहा गया है कि जाँच के दौरान, अभियोक्त्री/पीड़िता का बयान जाँच अधिकारी (संक्षेप में 'आईओ') द्वारा दर्ज किया गया है। उक्त बयान को देखने पर जो पेपर-बुक के पृष्ठ-32 पर संलग्न है यह पता चलता है कि अभियोक्त्री/पीड़िता ने अपनी मूल कहानी को बदल दिया है, या यों कहें कि उसे और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है; उसने आरोप लगाया है कि आवेदक ने गाँव में स्थित जगदीश के बेटे दिनेश सिंह की कृषि भूमि में उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे, जो कि असंभव प्रतीत होता है।

8. आगे यह भी कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (जो अब निरस्त हो चुकी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के समान है) के अंतर्गत अपराध बनाने वाले आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं; इस बात का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अभियोक्त्री/पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण करवाने से इनकार कर दिया है।

9. आगे यह भी कहा गया है कि वाद के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री/पीड़िता एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है; इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) से संबंधित आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई भी चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

10. इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि विधि का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अभियोक्त्री/पीड़िता के बयान को सदैव अटल सत्य के रूप में नहीं माना जाएगा। इस संदर्भ में **करण तलवार बनाम तमिलनाडु राज्य (2024 आई.एन.एस.सी.1012)** वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके अनुसार अभियोक्त्री/पीड़िता के बयान को अटल सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

11. इसके अतिरिक्त यह निवेदन है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वह दिनांक 02.12.2025 से जेल में बंद है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध किया, यद्यपि, वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, तथा आवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की सामग्री का अवलोकन करते हुए; साथ ही पीड़िता के बयानों और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है जो भारतीय न्याय संहिता धारा 64(1) से संबंधित है, और यह भी कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 02.12.2025 से जेल में है; आवेदक की कारावास अवधि को भी ध्यान में रखते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत देने के लिए एक उपयुक्त वाद मानता हूँ। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक - शालू उर्फ शैलेंद्र को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(vi) आवेदक निर्धारित की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, चाहे वह स्वयं आए या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

(vii) आवेदक साक्ष्यों के लिए निर्धारित की गई तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई भी स्थगन नहीं मांगेगा।

(viii) आवेदक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित की गई तिथियों पर, स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

15. यदि उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।



16. चूंकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

20 मार्च, 2026

आरती/